फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

रामकुमार ढाका पुत्र श्री मदनलाल जाति जाट निवासी 5 ई छोटी तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

किस्म निगरानी : नियम 30 (नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों) के अंतर्गत

GCMS No. 2015/00028

निगरानी संख्या 02/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह अपील सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यवाही विवरण बैठक दिनांक 23.08.2004 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्त्ता ने एक भूखण्ड चक 7 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 21 के किला नंबर 4 ता 7, किला नंबर 14 ता 17 एवं किला नंबर 24 ता 25 कुल 10 बीघा भूमि में पुरानी कोलॉनी काटी गई तथा उक्त कोलॉनी का नक्शा 1999 में यू.आई.टी श्रीगंगानगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजन बीकानेर के द्वारा स्वीकृत किया गया। निगरानीकर्त्ता ने उक्त स्वीकृत नक्शे के हिसाब से ही प्लाट संख्या 61,62, व 63 क्रय किया। प्लाट नंबर 63 का पट्टा भी नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर द्वारा 2004 में ही बना दिया गया। उक्त सारी स्थिति का आंकलन करने के पश्चात ही निगरानीकर्त्ता ने मौके पर निमार्ण कार्य करके अपने परिवार सहित निवास करने लग गये, फिर भी नगर विकास न्यास के द्वारा बिना पट्टेधारियों को नोटिस दिये अपने आदेश में संशोधन करके उक्त कोलॉनी की जगह को सार्वजनिक कृत्य के रूप में रिजर्व करने का आदेश दिया जो पूर्णतया गलत एवं गैर कानूनी तथा क्षेत्राधिकार विहीन होने के कारण निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्त्ता ने वादग्रस्त भूखण्ड चक 7 ई छोटी मुरब्बा नंबर 21 में स्थित है, और निगरानीकर्ता के भूखण्ड का पट्टा भी चक 7 ई छोटी मुरब्बा नंबर 21 में जारी हो रखा हैं. परन्तु नगर विकास न्यास के ले आउट प्लान स्वीकृत करने बाबत् समिति के कार्यवाही विवरण बैठक दिनांक 23.08.2004 में चक 7 ई छोटी में मुरब्बा नंबर 21 के संबंध में कोई आदेश प्रदान नहीं किया है। नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के कार्यवाही विवरण बैठक के विरूद्व निगरानी इस न्यायालय में पोषणीय नहीं हैं अतः निगरानी निगरानीकर्त्ता खारिज की जावें। हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। यह निगरानी नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर के बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 23.08.2004 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर की बैठक कार्यवाही विवरण नगर विकास न्यास का मूल आदेश नहीं है। मूल आदेश के बिना उक्त बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 23.08.2004 इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः निगरानी निगरानीकर्त्ता इसी स्तर पर खारिज की जाती है। तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 5/6/24 (वंदना सिंघवी) संभागीय आयुक्त बीकानेर	